

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या
12/2025

तारीख रजु
01.07.2025

तारीख निर्णय
12.02.2026

बउनवान

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थी/वादी

बनाम

1. आनी पत्नी सुगन, निवासी हाडौली तहसील मण्डावर, दौसा।
2. जयसिंह पुत्र सुक्का, निवासी हाडौली तहसील मण्डावर, दौसा।
3. नन्नू पुत्र सुक्का, निवासी हाडौली तहसील मण्डावर, दौसा।
4. बलराम पुत्र कन्हैया, निवासी हाडौली तहसील मण्डावर, दौसा।
5. रामचन्द पुत्र सुक्का, निवासी हाडौली तहसील मण्डावर, दौसा।
6. लिखमन पुत्र सुक्का, निवासी हाडौली तहसील मण्डावर, दौसा।
7. शंकर पुत्र सुगन, निवासी हाडौली तहसील मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. प्रार्थी – पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी ग्राम हाडौली पटवार हल्का बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा के खाता सं. 53 के खसरा सं. 256 रकबा 0.09 हैक्टे. किस्म गै.मु.स्कूल मुताबिक जमाबंदी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का बनावड एवं भू.अ.नि. हल्दैनाने दिनांक 09.06.2025 को उक्त खातेदारी भूमि किस्म गैरमुमकिन स्कूल भूमि पर राज.प्रा.वि. हाडौली स्कूल का भवन बना हुआ है, इस बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त खसरा सं. की कृषि भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जाकर कृषि भूमि का स्वरूप बिगाड दिया है। खातेदारों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियमों का उल्लंघन किया गया है। अतः खातेदार की खातेदारी समाप्त कर भूमि से खातेदारान को बेदखल कर खातेदारी भूमि को सिदायचक घोषित किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खातेदारान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा के तहत हानिप्रद कार्य एवं कृषि अयोग्य भूमि करने के कारण बेदखली की शास्ति का दायी व भागीदार है जिससे यह वाद पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा सं. 256 रकबा 0.09




उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

हैक्टे. किस्म गैरमुमकिन स्कूल भूमि पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथा स्थिति बनाये रखने एवं खातेदारों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाने की कृपा करें।

2. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 01.07.2025 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थी ग्राम हाडौली पटवार हल्का बनावड तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 256 रकबा 0.09 हैक्टे. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 01 लगायत 07 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बन्द किया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ-पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या


(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के लिए प्रस्तुत किया गया है।




उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर
प्रार्थना पत्र सं. 12/2025 GCMSNo. 2025/213
राजस्थान सरकार बनाम आनी वगै.
निर्णय दिनांक 12.02.2026

भूमिधारक तहसीलदार मण्डावर के द्वारा उक्त विवादित कृषि आराजी पर अकृषि कार्य होने का कथन किया जाकर धारा 177 के तहत अनुतोष चाहा गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजी को अप्रार्थी द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम हाडौली, पटवार हल्का बनावड, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 256 कुल रकबा 0.09 हैक्टे. भूमि के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 01.07.2025 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फौसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 12.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

